

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 14.09.2025

जमीन दिलाने के नाम पर 1.5 करोड़ रूपए का गबन करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट के नेतृत्व में व0उ0नि0 विनोद कुमार सिंह द्वारा मय पुलिस टीम के थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 637/2024 धारा 420/120B भा0द0वि0 से संबंधित वांछित अभियुक्त अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर जमीन दिलाने के नाम पर करीब 1.5 करोड़ रूपये हड़प लिया गया जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अखिलेश यादव पुत्र बालिन्द यादव निवासी ग्राम औराडार थाना बनकट जनपद संतकबीर नगर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 637/2024 धारा 420/120B भा0द0वि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. व0उ0नि0 विनोद कुमार सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 सुधांशु सिंह चौकी प्रभारी रेलवे, थाना कैण्ट, गोरखपुर
3. उ0नि0 रवि प्रकाश कुँवर चौकी प्रभारी मोहदीपुर थाना कैण्ट, गोरखपुर
4. कां0 सुनील यादव थाना कैण्ट, गोरखपुर
5. कां0 आशीष चौधरी थाना कैण्ट, गोरखपुर